तामीलमें

19/1/17 वकील फरीकेन उपस्थित। पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से स्थगित रहे [illegible] पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी सं. 2 एवं बहस अर्जी हेतु दि० 30/1/17 को पेश हो।
Riy

30/1/17 वकील फरीकेन उपस्थित बहस अर्जी सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 8/2/17 को पेश हो। Riy

8/2/17 वकील फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्षगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब के साथ अप्रार्थी सं. 2 राजकी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें अप्रार्थी सं. 2 की मृत्यु दिनांक 8/1/16 अंकित है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस न्यायालय में दिनांक 12/5/16 को पेश किया है यानि की प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही अप्रार्थी सं. 2 की मृत्यु हो चुकी थी अर्थात मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थी ने प्रा० पत्र पेश किया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों में ख.नं. 531 व 748 को संयुक्त खातेदारी दर्शाया गया है जबकि संलग्न जमाबंदी सं. 2071-74 के अनुसार उक्त कीलेखसरा नं. अप्रार्थी सं. 2 राजकी के सेपरेट खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है अर्थात प्रा०पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया है। अन्य खसरा नम्बरान में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी है जिनमें सभी का हिस्सा 1/3-1/3 अंश है। इसलिए बाबत खाते है या गलत है यह तथ्य तकनीकी अधिकार सिविल न्यायालय को है, इसलिए प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का

Riy

-निरन्तर

| नम्बर व तारीख हुक्म अहकामज... की तामीलमेंज... | हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स | नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए । |
|---|---|---|
| | महावीरसिंह v/s केदारसिंह वगैरह<br>उप अस्थायी निषेधाज्ञा 14116 | |
| | अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के अभिवचनों को साक्ष्य में साक्ष्य व सबूतों के आधार पर तय किया जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कटे तथा शामिल दफ्तर हो।<br>Riy<br>उप जिला-कलेक्टर<br>सपोटरा, जिला-करौली | |